समाहरणालय, अरवल

बिहार सरकार

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

विशेष सचिव, (विशेष शाखा) गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/आपदा–06–06/2020–102 (बि0स0को0) दिनांक 30.07.2020 की कंडिका 13 के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 943/गो0 दिनांक 31.07.20220 द्वारा **दिनांक 01.08.2020 से दिनांक 16.08.2020 तक सम्पूर्ण अरवल जिला में लागू किया गया है।**

दिनांक 05.08.2020 को आहूत विडियो कॉन्फ्रेसिंग में निदेशित किया गया कि कंटेनमेन्ट जोन के बाहर एक **बफर** जोन बनाया जाय। कंटेनमेन्ट जोन एवं बफर जोन बनाने तथा उस पर सतत् निगरानी रखने हेतु निदेश प्राप्त है।

यद्यपि अरवल जिला मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है। वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक मानकों का उपयोग किया जाना ही एक मात्र उपाय है। क्योंकि अभी तक इस वैश्विक महामारी की कोई दवा/वैक्सीन निर्मित नहीं है। अरवल जिला में पोजेटिव मामले प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही हैं।

इन्हीं सब बिन्दुओं पर विचारण हेतु आज दिनांक 06.08.2020 को कोविड–19 जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गयी। जिले में कोविड–19 संक्रमण से बढ़ते फैलाव के रोक थाम के मद्देनजर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **सम्पूर्ण जिला में अत्यावश्यक सेवाओं** को छोड़कर अन्य सभी तरह की सेवाओं को **दिनांक 07.08.2020 से दिनांक 16.08.2020 तक** प्रतिबंधित किया जाय तथा प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाय।

कोविड–19 के बढ़ते हुए संक्रमण एवं दिनांक 06.08.2020 को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में **गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/ आपदा–06–06/2020–102 (बि0स0को0) दिनांक 30.07.2020** की कंडिका 13 के आलोक में **मैं रविशंकर चौधरी, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, अरवल** निम्न अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं को **दिनांक 07.08.2020 से दिनांक 16.08.2020** तक प्रतिबंधित करता हूँ।

1. निजी क्षेत्र के कार्यरत चिकित्सा सेवा।
2. दूरसंचार सेवा।
3. बैकिंग एवं ए0टी0एम0 सेवायें।
4. डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान।
5. खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान।
6. फल–सब्जियों की दुकानें।
7. दवा की दुकानें, सर्जिकल आईटम से संबंधित संस्थान।
8. पेट्रोल पम्प एवं सी0एन0जी0 स्टेशन।
9. एल0पी0जी0 गैस एजेन्सी।
10. पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवायें।
11. ई–कॉमर्स सेवायें।
12. इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया।

इसके अतिरिक्त **मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं** से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी तथा **उपरोक्त 12 सेवाओं** से संबंधित कार्यो एवं सेवाओं

थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निदेश का उल्लघंन करने पर होटल, बैन्केवेट हॉल, मेरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को बन्द करा दिया जायेगा। साथ ही होटल, बैन्केवेट हॉल, मेरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर के प्रबंधक इस आशय का एक शपथ पत्र देंगे कि उक्त समारोह में काई भी कोरोना वायरस के लक्षणयुक्त (यथा : सर्दी, खॉसी, बुखार आदि) व्यक्ति शामिल नहीं हो रहे हैं। **होटल, बैन्केवेट हॉल, मेरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि में एक समय में एक ही समारोह आयोजित किया जायेगा।**

XII. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं उल्लघंन की स्थिति में **Bihar Epidemic Diseases Act, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें। साथ ही आवश्यकतानुसार संयुक्त आदेश के द्वारा दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी व बलों की प्रतिनियुक्ति भी करना सुनिश्चित करेंगें तथा आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग बनवाते हुए पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगें।

XIII. **जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल** एवं मोटर यान निरीक्षक, अरवल को निदेश दिया जाता है कि भ्रमणशील रहकर उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

XIV. **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल** एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरवल जिला अपने सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत लॉकडाउन की अवधि के दौरान सघन सेनिटाईजेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही इस प्रतिबंध के संबंध में आज दिनांक 06.08.2020 को वाहन/टैम्पू में माईक लगाकर व्यापक **प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगें।**

XV. **उपरोक्त के अतिरिक्त** विशेष सचिव, (विशेष शाखा) गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/ आपदा–06–06/2020–102 (बि0स0को0) दिनांक 30.07.2020 द्वारा निर्गत सभी आदेश लागू होंगे।

XVI. **जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

XVII. **अपर समाहर्ता, अरवल इसके वरीय प्रभार में रहेंगें।**

XVIII. **पुलिस अधीक्षक, अरवल** उपरोक्त आदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन कराने हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निदेशित करेंगें।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक : 960/गो0 अरवल दिनांक 06/08/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D:\Office\2020\Order\August\Lockdown 07 to 16.08.doc